न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2019

प्रार्थीगण

1. वागा
2. धुका पिसरान दौलाजी कौम पूरोहित साकिन डुंगरी
3. मृतक हंसा वल्द दौला जी कौम पूरोहित के का.मू. वारीसान–
   3/1 जबराराम वल्द हंसाजी
   3/2 रखु पुत्री हंसाजी
   3/3 झका पुत्री हंसाजी
   3/4 श्रीमती पाबूदेवी पत्नि हंसाजी जातियान पुरोहित साकिनान डुंगरी तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–
1. प्राथी अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
2. अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 27.01.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व अंतर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा डूंगरी तहसील रानीवाडा के पुराने खसरा नम्बर 494 रकबा 56 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 493 रकबा 8 बिस्वा आई हुई हैं। उक्त आराजी की खातेदारी जमाबंदी संवत 2035 से 2038 में तगा वल्द रता, वागा,हंसा,धुका पिसरान दौला 1/4, रूपा,चमना(उर्फ मफा) पिसरान पुनमा 1/8,पदमा वल्द शिवा1/8 रूडा,सोना,पीरा,सादुला पिसरान पुनमा 1/8, पदमा वल्द शिवा 1/8 रूडा, सोना, पीरा, सादूला पिसरान वेला 1/2 कौम पुरोहित सा. देह खातेदार के नाम दर्ज थी। उक्त पुराने खसरा नम्बर 494 रकबा 56 बीघा 7 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 392 रकबा 0. 01 हे,खसरा नम्बर 393 रकबा 0.11 हे, खसरा नम्बर 414 रकबा 6.15 हे., खसरा नम्बर 415 रकबा 0.21 हे., तथा पुराने खसरा नम्बर 393 रकबा 8 बिस्वा व 394 में से संयूक्त रूप से नवीन खसरा नम्बर 394 रकबा 2.88 हेक्टर सृजित किये गये। उक्त आराजी बाबत द्वितीय सेटलमेंट की मिसल बन्दौबस्त संवत 2046 से 2065 की खतौनी करते वक्त सेटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों [illegible] कोई त्रुटि या भूल से उक्त आराजी की खातेदारी मलूका वल्द जान 1/8 [illegible]डा, [illegible]ना,सादुला पिसरान वेला 3/8, नरसाराम, चमनाराम, दीपाराम, [illegible], पिसरान [illegible]राम, वागा, साधूका पिसरान दौला 1/4 रूपा,चमना,पिसरान पुनमा 1/8 [illegible] शिवा 1/8 कौम [illegible] सा. देह

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:23:15 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार दर्ज कर दिया तथा प्रार्थी संख्या 3/1 से 3/4 के पूर्वाधिकारी हंसा के नाम के आगे से ''हं'' हटा दिया तथा प्रार्थी संख्या 1,2,3 की खातेदारी वागा, हंसा, धुका पिसरान दौला की बजाय वागा,साधुका पिसरान दौला गलत रूप से दर्ज कर दी। प्रार्थी संख्या 3/1 से 3/3 के पिता व प्रार्थी संख्या 3/4 के पति हंसा वल्द दौला फौत हो चूके है। इसीलिए प्रार्थीगण उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड को जरिये रेकर्ड दुरूस्ती के उक्त आराजी की खातेदारी में वागा,साधुका पिसरान दौला की बजाय वागा,हंसा,धुका पिसरान दौला दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

2. उक्त आराजी की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में खातेदारी जैरूपा वल्छ रूडा 1/8 जैरूपा,छोगा,केरा पिसरान रूडा, उमा वल्द सोना, जोराराम,भुराराम,पिसरान सादुला, कृष्णलाल,प्रतापाराम, जैसाराम, पिसरान नागजीराम ,सुकीदेवी पत्नि नागजीराम, जैसाराम वल्द नागजीराम नाबालिंग की वली माता सुकीदेवी पत्नि नागजीराम 3/8 ,खेमाराम ,समेलाराम, मगनाराम,पिसरान नरसाराम, चमनाराम,दीपाराम, जवाराम पिसरान तगाराम,वागा, साधुका पिसरान दौला 1/4 रूपा,चमना,पिसरान पुनमा 1/8 ,पदमा वल्द शिवा 1/8 कौम पुरोहित सा.देह खातेदार के नाम दर्ज हैं तथा जमाबंदी संवत 2074 से 2077 की खतौनी करते वक्त उक्त आराजी की खातेदारी में खातेदारान के हिस्से खोले गये तथा प्रार्थीगण की खातेदारी में द्वितीय सेटलमेंट की मिसल में गलती के कारण प्रार्थी संख्या 1 वागा पुत्र का दौला का 1/24 हिस्सा होते हुये 1/16 हिस्सा दर्ज कर दिया तथा साधुका पुत्र दौला का 1/16 दर्ज कर दिया, जबकि उक्त आराजी में वागा पुत्र दौला का 1/24 हिस्सा, हंसा पुत्र दौला का 1/24 हिस्सा तथा धुका पुत्र दौला का 1/24 हिस्सा खातेदारी का है, जिसे जरिये रेकर्ड दुरूस्ती के प्रार्थीगण वागा पुत्र दौला हिस्सा 1/16 साधुका पुत्र दौला हिस्सा 1/16 की बजाय वागा पुत्र दौला 1/24, हंसा पुत्र दौला 1/24, धुका पुत्र दौला 1/24 दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा डुंगरी तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नम्बर 392 रकबा 0.01 हे.,खसरा नम्बर 393 रकबा 0.11 हे.,खसरा नम्बर 394 रकबा 2.88 हे.,खसरा नम्बर 414 रकबा 6.65 हे.,खसरा नम्बर 415 रकबा 0.21 हे. जूमले रकबा 9.36 हैक्टेयर आराजी की खातेदारी में साधुका पुत्र दौला की बजाय हंसा,धुका पिसरान दौला जरिये रेकर्ड दुरूस्ती के दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे तथा उक्त आराजी की खातेदारी में वागा पुत्र दौला हिस्सा 1/16 ,साधुका पुत्र दौला हिस्सा 1/16 की बजाय वागा पुत्र दौला हिस्सा 1/24, हंसा पुत्र दौला हिस्सा 1/24, धुका पुत्र दौला हिस्सा 1/24 जरिये रेकर्ड हंसा वल्द दौला के फौत होने से उक्त हंसा के वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे। तथा आदेश की पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को तहरीर जारी फरमावे।

3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ।

4. अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी सरहद मौजा डुंगरी के पुराने खसरा नम्बर 494 रकबा 56 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 493 रकबा 8 बिस्वा आई हुई है उक्त आराजी की खातेदारी जमाबंदी संवत 2035 से 38 ने [illegible] रता, वागा,हंसा,धंका पि. दौला 1/4 रूपा,चमना,(उर्फ मफा) पि. पुनमा [illegible]8 ,पदमा वल्द शिवा 1/8, रूडा,सोना,पीरा,सादूला पि. वेला 1/2 कौम [illegible] देह खातेदार दर्ज है। उक्त पुराने खसरा नम्बर 494 रकबा 56 बीघा 7 [illegible] से नवीन खसरा नम्बर 392 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:23:15 IST
Reason: SelfAttested

0.01 हे,खसरा नम्बर 393 रकबा 0.11 हे, खसरा नम्बर 414 रकबा 6.15 हे., खसरा नम्बर 415 रकबा 0.21 हे., तथा पुराने खसरा नम्बर 393 रकबा 8 बिस्वा व 394 में से संयूक्त रूप से नवीन खसरा नम्बर 394 रकबा 2.88 हेक्टर सृजित किये है। द्वितीय सेटलमेंट में खसरा नम्बर 394 रकबा 2.88, खसरा नम्बर 414 रकबा 6.15 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 392 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.11 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.21 हेक्टेयर आराजी की खातेदारी मलूका वल्द जानू 1/8 रूडा, सोना,सादुजा पि.दौला 1/4 रूपा,चमना,पि.पूनमा 1/8, पदमा वल्द शिवा 1/8 कौम पुरोहित दर्ज है। अतः द्वितीय भूप्रबंध के समय वागा,हंसा,धुका पि. दौला के बजाय वागा,साधुका पि. दौला दर्ज हो गया।

5. प्रार्थीगण अधिवक्ता व अप्रार्थी तहसीलदार रानीवाडा की बहस सूनी गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी तहसीलदार रानीवाडा के जवाब पर मनन किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न मौजा डूंगरी की जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 की पेश की जिसमें पुराने खसरा नम्बर 494 रकबा 56 बीघा 7 बिस्वा व 493 रकबा 8 बिस्वा में तगा वल्द रता, वागा, हंसा धूका पि. दौला 1/4 रूपा ,चमना (उर्फ मफा) पि. पूनमा 1/2 पदमा वल्द सीवा 1/2 रूडा, सोना, पीरा, सादूला पी.वैला 1/2 कौम पूरोहित सा.देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा मिलान क्षैत्रफल पेश किया जिसमें पुराने खसरा नम्बर 494 रकबा 56 बीघा 7 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 392 रकबा 0.01 हे,खसरा नम्बर 393 रकबा 0.11 हे, खसरा नम्बर 414 रकबा 6.15 हे., खसरा नम्बर 415 रकबा 0.21 हे., तथा पुराने खसरा नम्बर 393 रकबा 8 बिस्वा व 394 में से संयूक्त रूप से नवीन खसरा नम्बर 394 रकबा 2.88 हेक्टर सृजित किये गये। उक्त आराजी बाबत प्रार्थीगण द्वारा द्वितीय सेटलमेंट की मिसल बन्दौबस्त संवत 2046 से 2065 की पेश की जिसमें उक्त खसरान् में मलूका वल्द जानू 1/8, रूडा, सोना,सादूला पिसरान वेला 3/8, नरसाराम, चमनाराम, दीपाराम, जवाराम, पिसरान तगाराम वागा, साधूका पिसरान दौला 1/4 रूपा,चमना,पिसरान पुनमा 1/8, पदमा वल्द शिवा 1/8 कौम पूरोहित सा. देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा मौजा डूंगरी के उपरोक्त खसरान् की जमाबंदी सवत् 2074 से 2077 की पेश की जिसमें वागा पुत्र दौला हिस्सा 1/16 व साधुका पुत्र दौला हिस्सा 1/16 जाति पुरोहित सा.देह खातेदार दर्ज है।

6. उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजो व तहसीलदार रानीवाडा के जवाब व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर द्वितीय सेटलमेंट की मिसल बन्दौबस्त संवत 2046 से 2065 की खतौनी करते वक्त सेटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों ने लिपिकीय त्रुटि या भूल से उक्त आराजी की खातेदारी मलूका वल्द जानू 1/8, रूडा, सोना,सादूला पिसरान वेला 3/8, नरसाराम, चमनाराम, दीपाराम, जवाराम, पिसरान तगाराम, वागा, साधूका पिसरान दौला 1/4 रूपा,चमना,पिसरान पुनमा 1/8, पदमा वल्द शिवा 1/8 कौम पूरोहित सा. देह खातेदार दर्ज कर हंसा के नाम के आगे से ''हं'' हटाकर वागा, हंसा, धुका पिसरान दौला की बजाय वागा, साधुका पिसरान दौला गलत रूप से दर्ज कर दी। तथा इसी अनुसार इनका हिस्सा भी परिवर्तित कर दिया। अतः उक्त आराजी की खातेदारी में वागा, साधुका पिसरान दौला की बजाय वागा, हंसा, धुका पिसरान दौला दर्ज करवाने करना व इनके अनुसार हिस्सा भी [illegible] रेकर्ड को जरिये रेकर्ड दुरूस्ती किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:23:15 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

7. अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा डूंगरी की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 145 में वर्णित खसरान् की आराजी की खातेदारी में **वागा साधुका पिसरान दौला की बजाय वागा हंसा धुका पिसरान दौला** दर्ज किये जाने व इसी अनूसार हिस्सा भी **वागा पुत्र दौला हिस्सा 1/16 व साधुका पुत्र दौला हिस्सा 1/16 की बजाय वागा पुत्र दौला हिस्सा 1/24, हंसा पुत्र दौला हिस्सा 1/24 ,धुका पुत्र दौला हिस्सा 1/24** जरिये रेकर्ड दूरूस्ती के रूप में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:23:15 IST
Reason: SelfAttested